सरकार जरिये थानाधिकारी कुड़ी भगतासनी **बनाम** रतनाराम व अन्य सप्लाई विविध प्रकरण सं0 04/2017	तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

.10.17

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीपक्ष सं0 1 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी–2 इत्तला बावजूद अनुपस्थि। पूर्व आदेश दिनांक 12.09.17 की अनुपालना में जिला परिवहन अधिकारी जोधपुर से जब्तसुदा टेंकर की मूल्यांकन रिपोर्ट जरिये पत्रांक 3426 दिनांक 25.09.17 एवं भारसाधक पदाधिकारी थाना कुड़ी भगतासनी, जोधपुर पश्चिम से पंत्राक 10130 दिनांक 21.09.2017 के संलग्न क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर की रासायनिक जांच रिपोर्ट (एफ एस एल रिपोर्ट) प्राप्त हो चुकी है अतः अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सालावास जोधपुर कार्यालय प्रयोगशाला से जांच कराना आवश्यक नहीं समझते है।

भारसाधक पदाधिकारी थाना कुड़ी, जोधपुर महानगर की रिपोर्ट दिनांक 15.07.17 में स्पष्ट किया गया कि अप्रार्थीगण रतनाराम, पूनमसिंह व देवाराम क विरूद्ध उक्त अपराधिक प्रकरण में चालान पेश किया जा चुका है तथा जब्तसुदा टेंकर वाहन RJ–19–GE–5241 में अवैध रूप से 11990 लीटर डीजल भरा होना पाया गया तथा आज भी भरा हुआ। अतः डीजल निस्तारण के बाद उक्त वाहन को रिलीज करने में कोई आपत्ति नहीं होना कहा।

यहां उल्लेखनीय भी है कि दिनांक 06.09.17 को सुनवाई के दौरान अप्रार्थीपक्ष सं. 1 व 3 की ओर उक्त टेंकर में भरे हुए डीजल का क्लेम नहीं करना चाहा, परन्तु प्रकरण का अंतिम निस्तारण करने से पूर्व आदेश दिनांक 12.09.17 की अनुपालना में जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर से जब्तसुदा वाहन टेंकर की मूल्यांकन रिपोर्ट मंगवाने एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रसायनिक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर महाप्रबन्धक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सालावास, जोधपुर से जब्तसुदा डीजल की शुद्धता की जांच रिपोर्ट उनकी लेब से कराने हेतु दिनांक 18.09.17 को पत्र जारी किये गये। जिला परिवहन अधिकारी जोधपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 3426 दिनांक 25.09.17 प्रेषित करते हुए वाहन मॉडल 2005 तथा उसकी अनुमानित कीमत 4,16,000/– रूपये (अक्षरे चार लाख सोलह हजार रूपये) बताई गई।

पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी जोधपुर पश्चिम ने अपने पत्रांक 10130 दिनांक 21.09.17 के जरिये क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त जब्तसुदा डीजल के नमूना सेम्पल की एफ.एस.एल. रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट में

<u>On physico-chemical analysis</u>:– The liquid sample contained in each of the bottle marked ए, बी & सी was does not confirm the specification prescribed for diesel fuel in respect of distillation characteristict, relative dencity and kinematic viscosity.

The liquid sample contained in each of the bottle marked ए. बी & was found to contain fraction of kerosene range having relative density 0.8127, 0.8155 and 0.8131 at 15°C respectively. बतलाया गया।

उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार जब्तसुदा डीजल में केरोसीन की मात्रा भी विद्यमान है तथा जब्तसुदा टेंकर वाहन RJ–19–GE–5241 में 11990 लीटर मिलावटयुक्त डीजल है तथा आदिनांक तक किसी भी व्यक्ति ने क्लेम किया, न अप्रार्थी–एक रतनाराम (वाहन स्वामी) द्वारा अपने उक्त टेंकर वाहन में 11990 लीटर उक्त डीजल कहां से प्राप्त किया एवं कहां पहुंचाया जा रहा था, इसके बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, न स्पष्टीकरण दिया गया तथा अत्यधिक मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ (मिलावट युक्त डीजल) बिना वाउचर/परमिट परिवहन किया जा रहा था। अतः आदेश दिनांक 12.09.17 की निरन्तरता में प्रकरण का अंतिम निस्तारण इस प्रकार किया जा रहा है।

1– जब्तसुदा उक्त डीजल को राज्यसात् किया जाता है।

2– उक्त टेंकर/वाहन में अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन करने से अप्रार्थी रतनाराम (पंजीकृत टेंकर/वाहन स्वामी) पर 1,00,000/–रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) जुर्माना (Fine) लगाया जाता है तथा जुर्माना राशि जिला रसद अधिकारी प्रथम, जोधपुर में जमा कराने पर निम्नलिखित शर्तो के शपथ–पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश करने पर उसका वाहन RJ–19–GE–5241 रिलीज करने का आदेश दिया जाता है।

अ– अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण सं. 87/2007 अ/धा. 3/7, ई.सी. एक्ट के विचाराधीन रहते बेचान/हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा तथा न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर आवश्यकता होने पर प्रस्तुत किया जायेगा, न बिना अनुमति वाहन में परिवर्तन करेगा। वाहन रिलीज आदेश जुर्माना राशि जमा कराने एवं शपथ–पत्र पेश करने पर अलग से जारी किया जायेगा।

3– जब्तसुदा उक्त मिलावट युक्त डीजल का निस्तारण निलामी बोली लगाकर बेचान करना उचित समझते है अतः जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राज्यसात् किये गये डीजल को भारसाधक पदाधिकारी थाना कुड़ी भगतासनी से प्राप्त कर शीघ्र ही मौके पर ही निलामी बोली लगवाई जावे तथा निलामी बोली इस कार्यालय की पुष्टि के बाद अंतिम की जावे तथा निलामी से प्राप्त राशि एवं रतनाराम द्वारा जुर्माना की राशि राजकोष में जमा की जावे तथा पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

4– भारसाधक पदाधिकारी थाना कुड़ी भगतासनी जोधपुर महानगर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त डीजल की निलामी के लिए जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को सुपुर्द करें तथा वाहन रिलीज आदेश जारी होने तक वाहन अपनी अभिरक्षा में रखा जावे।